प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

छत्तीसगढ़ सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित

अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाईये बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस के साथ

फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ

बीमा कराने की अंतिम तिथि
31 जुलाई 2025

अधिसूचित जिले:
बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, कोरिया, सारंगगढ़–बिलाईगढ़, गरियाबंद, जांजगीर–चांपा, कबीरधाम, कांकेर, सक्ती, मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी

खरीफ 2025 मौसम हेतु अधिसूचित फसलें:
धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, उड़द,अरहर, मूँग, मूँगफली,सोयाबीन, कोदो, कुटकी, रागी

योजना के मुख्य बिंदु :

- कृषक द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत
- शेष प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा किया जावेगा
- ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटने, आकाशीय बिजली से नुकसान होने पर स्थानीय आपदा अंतर्गत दावा भुगतान
- फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु बंडलो में रखी फसल को चक्रवात, बैमौसम/ चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने पर दावा भुगतान
- कम वर्षा या विपरीत मौसम अवस्थाओं के कारण फसल बुवाई विफलता पर दावा भुगतान
- फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़े, निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से कम आने पर दावा भुगतान
- अनावरी के आंकड़े इस योजना अतंर्गत दावा भुगतान के लिए मान्य नही होंगे

योजनांतर्गत शामिल होने वाले कृषक :

- ऋणी कृषकों का बीमा ऋण दायी संस्था द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
- गैर–ऋणी कृषक अपना बीमा बैंक शाखा/कॉपरेटिव सोसाइटी/लोक सेवा केंद्र (CSC)/पोस्ट ऑफिस/AIDE–एजेंट/फसल बीमा ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से निर्धारित तिथि के अंदर फसल का बीमा करा सकते है।
- गैर–ऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज– नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि एवं फसल बुवाई संबंधित दस्तावेज।

ऋणी कृषक: योजना ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन (Opt-out) आधार पर क्रियान्वित होगी। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन (Opt-out) प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

- ऑप्ट–आउट की कार्यवाही केवल एक मौसम–वर्ष के लिए ही लागू होगी; जिसके लिए किसान द्वारा ऑप्ट–आउट घोषणा दी गई है।
- बैंक शाखाएं किसानों द्वारा प्रस्तुत योजना से बाहर होने (Opt-out) की प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र को निरीक्षण/सत्यापन हेतु सुरक्षित रखेंगी।

अऋणी कृषक: अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक ऐच्छिक तौर पर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगें।

योजना सम्बंधित अधिक जानकारी एवं अपनी शिकायत दर्ज करने हेतु कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर **14447** पर संपर्क करे या व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर **70655-14447** का उपयोग करे या www.pmfby.gov.in पर जाएँ या क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल एप का प्रयोग करें या अपने निकटतम कृषि कार्यालय, बैंक शाखा, CSC सेंटर या बीमा कंपनी से संपर्क करें।

स्थानीय आपदाओं से बीमित फसल में नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है

PMFBY अंतर्गत दावा भुगतान सफल बनाने हेतु कृपया अपने संबंधित बैंक शाखा से PFMS पोर्टल से खाता संख्या को सत्यापित करवाये अथवा आधार नंबर को सही बैंक खाता से लिंक कराये।

योजना संबंधित अधिक जानकारी के लिए
फार्ममित्र ऐप डाउनलोड करें

GET IT ON Google Play

FARMITRA
CARINGLY YOURS

बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि., बजाज अलियांज हाउस, एयरपोर्ट रोड, येरवडा, पुणे - 411006 । आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या: 113 • सीआईएन: U66010PN2000PLC015329 • यूआईएन: IRDAN113CP0001V02201617 • www.bajajallianz.com
• टोल फ्री नंबर: सेल्स - 1800 209 0144 / सर्विस - 1800 209 5858 • अधिक जानकारी के लिए जोखिम कारक, नियम और शर्तों को जानने के लिए कृपया विवरणिका पढ़े, यह सुनिश्चित करने से पहले । BJAZ-O-5174/05-06-2025

लोगो PMFBY, छत्तीसगढ़ शासन, फार्ममित्र कैरिंगली योर्स एक विवरणात्मक लोगो है, जिसका उपयोग उत्पाद के उद्देश्य को प्रतिष्ठानित करने और सरलीकृत करने के लिए किया जाता है, और यह कंपनी का व्यापार लोगो नहीं है।